संख्या– 948 /v/आ0–2006–392(आ0)/05

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।

2– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार।

3– वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून।

आवास विभाग

देहरादून: दिनॉक 17 मई, 2007

विषय : आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिवक्ता के रूप में नामित श्री कंवलजीत सिंह की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–70/V–आ0–05–392(आ0)/05 दिनांक 4–1–2006, जिसके द्वारा श्री कंवलजीत सिंह की आवास विभाग के अधीन न्यायिक वादों की देख–रेख के लिये तथा शासन की ओर से विभिन्न न्यायालयों में प्रतिशपथ/प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किये जाने/पैरवी किये जाने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा–80 के अन्तर्गत प्राप्त नोटिसों का उत्तर प्रेषित किये जाने एवं आवास विभाग से सम्बन्धित समस्त न्यायिक प्रकरणों में परामर्श/कार्यवाही किये जाने हेतु आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विधिक अधिकारी/अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री सिंह की आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विधिक अधिकारी/अधिवक्ता के रूप में की गयी आबद्धता समाप्त की जाती है।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

सं0 948 (i)/v –आ0–2007 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– श्री कवलजीत सिंह, अधिवक्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4– एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0 पन्त)
अनु सचिव